Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 19-12-2006

Participants : Mahajan Smt. Sumitra

>

Title: Regarding issue of continuance and utility of MPLAD Scheme as challenged in Mumbai High Court.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं। सांसद फंड की बात हम सब लोग करते हैं क्योंकि सबकी दृटि में सांसद फंड बहुत ही आवश्यक है। उस फंड के कारण हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत से विकास के काम भी करते आये हैं। जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार बहुत से सांसदों ने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम किये हैं।[MSOffice28] लेकिन इसके विपरीत निर्णय आने की संभावना है क्योंकि महाराट्र में मुंबई उच्च न्यायालय में सांसद फण्ड और विधायक फण्ड के खिलाफ एक याचिका 12 साल पहले दायर की गयी थी, जो अब सुनवाई के लिए आई है। उस याचिका में सांसद फण्ड रद्द करने के लिए एक पीआईएल लगी हुई है ओर उसमें हमारे पूर्व सांसद श्री राम नाइक जी इन्टरवीन कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को उसमें एक पक्ष बनाया गया है। लेकिन यह बात ध्यान में आई है कि सरकार की तरफ से आज भी किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया गया है, कोई उत्तर नहीं दिया गया है और न ही कोई वकील खड़ा किया गया है। अगर यहां से सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, अगर कोई अच्छा वकील प्रतिवाद करने के लिए नहीं खड़ा किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय की ओर से हमारे खिलाफ कोई निर्णय आने की संभावना बन सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि इसके लिए सुनवाई की अन्तिम तारीख 31 जनवरी रखी गयी है, अतः सरकार जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय ले और वहां एक अच्छा वकील खड़ा करके अपनी तरफ से उत्तर दे और इसे बचाए।